I/814/2023

सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A11-105/2014

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति–श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक : 5 सितम्बर, 2023**

महोदय,

कृपया कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : 14360 दिनांक 25.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा **श्री गंगाधर मैठाणी राजकीय महाविद्यालय गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग** को **बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम** में **शैक्षिक सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23** हेतु **60 सीट प्रति विषय** तथा **शैक्षिक सत्र 2023–24** हेतु **80 सीट प्रति विषय** का **अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण** का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)
01	**श्री गंगाधर मैठाणी राजकीय महाविद्यालय गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग**	**बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं समाजशास्त्र)**	शैक्षिक सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 हेतु	60 सीट प्रति विषय
			शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु	80 सीट प्रति विषय

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।
- महाविद्यालय में भवन मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 04-09-2023 14:59:53

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या : 814 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-105/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Raj[illegible]